राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)

बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 1043/SEIAA/2022
Date: 14/7/22

प्रति,

संचालक,
भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश,
29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स,
भोपाल (म.प्र.)

कलेक्टर,
जिला – रतलाम (म.प्र.)

विषयः प्रकरण क्रमांक 6769/2020 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आर.के. स्टोन कंपनी, पार्टनर, श्री आशिफ खान आत्मज श्री असलम खान एवं श्री आबिद खान आत्मज श्री असलम खान, निवासी वार्ड नं. 08, खुदवाडी मोहल्ला, बखोद रोड़, तहसील–आलोट, जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5044 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 385/2/2, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम जीवनगढ़, तहसील आलोट, जिला रतलाम (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 578वीं बैठक दिनांक 16.06.2022 के निर्णय उपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 735वीं बैठक दिनांक 11.06.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा परिवेश पोर्टल पर निर्धारित Online प्रक्रिया के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक से समस्त दस्तावेज Online ही प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। SEAC द्वारा निम्नलिखित प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी Offline प्राप्त की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालयों/अधिकरण में विभिन्न विचाराधीन प्रकरणों में भी दस्तावेजों को माननीय न्यायालयों/अधिकरण में प्रस्तुतीकरण के दौरान परिवेश पोर्टल पर दस्तावेजों की ऑनलाईन उपलब्धता होने से सरलता से प्रस्तुतीकरण भी किया जा सकेगा।

अतः प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि SEAC द्वारा निम्नानुसार प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक से चाही गई जानकारी ADS के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर Online ही प्राप्त की जाये एवं प्रस्तुतीकरण के दौरान उपस्थित परियोजना प्रस्तावक व अधिकृत पर्यावरण सलाहकार (ऑनलाईन/ऑफलाईन) का नाम अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि का नाम व पदनाम कार्यवाही विवरण में अनिवार्यतः अंकित किया जाये। अतः प्रकरणों को SEAC को पुनः अग्रेषित किया जाता है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का परिपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। चूँकि उपरोक्त प्रकरणों से संबंधित जिलों की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित नहीं है। अतः प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन की अनुशंसा पश्चात् प्रकरणों को SEIAA को प्रेषित किया जाये।

*उपरोक्तानुसार प्रकरणों में संबंधित जिलों के जिला कलेक्टर को सूचित किया जाये कि **SEAC** द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट से संबंधित चाही गई वांछित जानकारी जिला स्तर से सर्वोच्च प्राथमिकता पर सीधे ही **SEAC** को प्रेषित की जाये एवं इसकी एक प्रति **SEIAA** को भी प्रस्तुत की जाये। उक्त निर्देशित कार्यवाही के परिपालन में संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।*

उपरोक्त निर्णय के परिपालन मे आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर अग्रेषित।

o/c (विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

क्र. 1044 /SEIAA/2022 भोपाल दिनांक 14/7/22

प्रतिलिपि :–

मेसर्स आर.के. स्टोन कंपनी, पार्टनर, श्री आशिफ खान आत्मज श्री असलम खान एवं श्री आबिद खान आत्मज श्री असलम खान, निवासी वार्ड नं. 08, खुदवाडी मोहल्ला, बखोद रोड़, तहसील–आलोट, जिला रतलाम (म.प्र.)

o/c सदस्य सचिव